UPMT010047212026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2047/2026
सिद्धार्थ उर्फ कृष्णा प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 362/2026, धारा 109(1),190,191(2),191(3), 351(3),352 भारतीय न्याय संहिता व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/ अभियुक्त **सिद्धार्थ उर्फ कृष्णा** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर बाइक पर सवार होकर अवैध तमंचों से लैस होकर, वादी के साथ गालीगलौज करते हुए, जान से मारने की नीयत से फायर करना जिससे वादी के बांये हाथ में छर्रे लग जाना व जान से मारने की धमकी देना, आक्षेपित है।

साथ ही, आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद किया जाना आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा रोहतान सिंह पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको इस केस में झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लम्बित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना के समय आवेदक/अभियुक्त अपनी बहन के घर शेरगढ़ में था, वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। आवेदक/अभियुक्त का कोई विशेष रौल नहीं दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त को घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार के हथियार की बरामदगी नहीं है, पुलिस ने गलत तरीके से तमंचा प्लांट किया है। कथित घटना का कोई निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 19.05.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर बाइक पर सवार होकर अवैध तमंचों से लैस होकर, वादी के साथ गालीगलौज करते हुए, जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिससे वादी के बांये हाथ में छर्रे लग जाना व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। घटना में प्रयुक्त तमंचा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है। चुटैल गिरेन्द्र चौधरी के आग्नेयास्त्र की चोट आयी है जिसके सम्बन्ध में चुटैल का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– केस डायरी पर घटना के कथित चुटैल गिरेन्द्र चौधरी के चिकित्सीय परीक्षण का विवरण अंकित किया गया है, जिसके अनुसार चुटैल के एक चोट Multiple Pin Point

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.07.03 16:28:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

Abrasion on left Arm outer and black side in area of 15x8cm आने का विवरण अंकित है। उपयोग में लाया गया हथियार के सम्बन्ध में Suspect Fire Arm अंकित है।

अभियोजन की ओर से चुटैल बताये गये गिरेन्द्र चौधरी की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कोई चोट गम्भीर/प्राणघातक होना नहीं बतायी गयी है। चुटैल को आयी चोटें किस सीमा तक गम्भीर प्रकृति की थीं, यह साक्ष्य की विषयवस्तुत है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **सिद्धार्थ उर्फ कृष्णा** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसको निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–03.07.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा ,पी.ए.